POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 05.12.2025

1. थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस द्वारा वादी को शेयर मार्केट मे इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने के नाम पर पूरे देश में लगभग 35 करोड रूपए से ज्यादा की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले चाइनीज साइबर ठगों से जुडे 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **05/12/2025** को **थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस** द्वारा संकलित सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये वादी को शेयर मार्केट मे इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने के नाम पर 12,00,00,000 रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले गैंग के 04 अभियुक्तगणो को **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 03/12/2025 को मु0अ0सं0-0137/2025 धारा 318(4), 319(2) बी0 एन0 एस0 व 66 डी आई.टी.एक्ट में पंजीकृत किया गया था, जिसमें साइबर अपराधी द्वारा वादी को शेयर मार्केट मे इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने के नाम पर 12,00,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की गयी। विवेचना मे त्वरित कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी मे लिप्त संदिग्ध बैंक खातो को तत्काल फ्रीज़ कराया गया।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त/खाताधारक अर्जुन सिंह के द्वारा बताया गया कि वह पंकज गुप्ता के कहने पर रूपेन्द्र और तेजपाल के संपर्क मे आया, अभियुक्तगण रूपेन्द्र और तेजपाल स्थानीय लोगों को कमीशन देने के नाम पर उनकी जीसटी तथा उधयम प्रमाण पत्र बनवाकर फर्म खुलवाते हैं, फिर उनका करंट बैंक खाता खुलवाते हैं। अभियुक्त तेजपाल के कहने के नाम पर रूपेन्द्र खाताधारक को अपने साथ मुंबई ले जाते है, फिर अन्य साथियों की मदद से विभिन्न बैंक खातों मे घटना से संबंधित धोखाधडी की धनराशि की स्थानांतरित करते है, धोखाधड़ी मे प्रयुक्त बैंक खाते मे आई धनराशि का 07 से 10 प्रतिशत नकद प्राप्त कर अभियुक्त तेजपाल अपने पास रख लेता हैं एवं 03 से 05 प्रतिशत खाताधारकों एवं मिडीएटर को दे देता हैं। विवेचना के दौरान पाया गया है कि उक्त गैंग द्वारा लगभग 50 से 60 बैंक खाते धोखाधड़ी मे प्रयोग करने हेतु खुलवाए गए है। अभियुक्तगण लगभग 1 वर्ष से साइबर अपराधों मे लिप्त है तथा देश के विभिन्न राज्यों मे इनके विरुद्ध शिकायते दर्ज हैं। घटना मे लिप्त अन्य अपराधियों के गिरफ़्तारी के प्रयास किए जा रहे है।

नोटः- उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तो में से 01. रूपेन्द्र पाल पुत्र प्रेमपाल 02. तेजपाल पुत्र दीनदयाल उपरोक्त के नाम थाना साइबर क्राइम के एक अन्य अभियोग संख्या 129/2025 धारा 318(4),319(2), 61(2)

बीएनएस व 66 डी आई एक्ट में प्रकाश में आये है। जिसमें वादी मुकदमा के साथ इनवेस्टमेंट के नाम पर 2,90,00,000 रूपये की धोखाधडी की गयी है।

एनसीआरपी पोर्टल पर अभी तक उक्त घटना मे प्रयुक्त बैंक खातों के विरुद्ध पूरे भारत वर्ष मे अलग अलग राज्यों मे कुल 43 शिकायतो का दर्ज होना पाया गया हैं जो निम्नानुसार है-

1. तेलंगाना राज्य मे 09 शिकायते दर्ज है, जो इनवेस्टमेंट फ्रॉड संबंधित हैं जिसमें 14,79,714 रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
2. तमिलनाडु राज्य मे 08 शिकायते दर्ज है, जो इनवेस्टमेंट फ्रॉड संबंधित हैं जिसमें 2,0 04,3584 रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
3. हरियाणा राज्य मे 02 शिकायते दर्ज है, जो इनवेस्टमेंट फ्रॉड संबंधित हैं जिसमें 96,33,122 रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
4. महारास्ट राज्य मे 04 शिकायते दर्ज है, जो इनवेस्टमेंट फ्रॉड संबंधित हैं जिसमें 96,65,150 रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
5. राजस्थान राज्य मे 01 शिकायत दर्ज है, जो इनवेस्टमेंट फ्रॉड संबंधित हैं जिसमें 1,34,00,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
6. आंध्र प्रदेश राज्य मे 02 शिकायत दर्ज है, जो इनवेस्टमेंट फ्रॉड संबंधित हैं जिसमें 40,00,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
7. कर्नाटक राज्य मे 05 शिकायत दर्ज है, जो इनवेस्टमेंट फ्रॉड संबंधित हैं जिसमें 7,35,35,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
8. गुजरात राज्य मे 05 शिकायत दर्ज है, जो इनवेस्टमेंट फ्रॉड संबंधित हैं जिसमें 26,00,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
9. केरल राज्य मे 03 शिकायत दर्ज है, जो इनवेस्टमेंट फ्रॉड संबंधित हैं जिसमें 11,70,23,30 रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
10. दिल्ली राज्य मे 04 शिकायत दर्ज है, जो इनवेस्टमेंट फ्राड/डिजिटल अरेस्ट संबंधित हैं जिसमें 3,11,05,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई है।

अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग--

1. मु0अ0स0 -0137/2025 धारा 318(4), 319(2), 338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस व 66 डी आई.टी.एक्ट, थाना साइबर क्राइम कमि0 गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0स0- 0129/2025 धारा 318(4), 319(2) बी0 एन0 एस0 व 66 डी आई.टी.एक्ट थाना साइबर क्राइम कमि0 गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0स0- 60000334/2025 धारा 318(4), 319,340 बी0 एन0 एस0 थाना क्राइम ब्रांच दरियागंज दिल्ली

4. मु0अ0स0 -0008/2025 धारा 303(2), 319(2) बीएनएस व 66 डी आई.टी.एक्ट, थाना साइबर क्राइम जनपद अरवल बिहार।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अर्जुन सिंह पुत्र पप्पू निवासी ग्राम डलवा सहीदा पोस्ट जगत, थाना अलापुरा जनपद बदायूँ उत्तर प्रदेश उम्र 23 वर्ष।
2. पंकज गुप्ता पुत्र संजीव गुप्ता निवासी ग्राम पथसा पोस्ट जगत थाना अलापुरा जनपद बदायूँ उत्तर प्रदेश उम्र 27 वर्ष।
3. रूपेन्द्र पाल पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम नवादा पोस्ट कटिया थाना अलापुर हाल पता- मोहल्ला ईश्वर धाम कालोनी निकट मंडी समिति थाना सिविल लाइन जनपद बदायूँ उम्र 23 वर्ष।
4. तेजपाल पुत्र दीनदयाल निवासी ग्राम रशूलपुर बिलहरी थाना सिविल लाइंस जनपद बदायूँ उम्र 23 वर्ष।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 05 आईफोन।

नोट- साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु

1. किसी भी INVESTMENT संबंधी EMAIL, LINK को बिना जांच न खोले।
2. निवेश संबंधी विवादों के लिए सेवी की आधिकारिक WEBSITE पर सर्च करे।
3. किसी भी अज्ञात Telegram/Whatsapp Group में न जुडें, और उस ग्रुप में चल रही इन्वेस्टमेन्ट के मुनाफे की बात पर यकीन न करें।
4. Telegram/Whatsapp Group में किसी भी सदस्य द्वारा निवेश के बाद मोटे मुनाफे की बात कही जा रही है तो उक्त बात पर यकीन न करें।Share trading/ IPO में निवेश केवल बैंक/विश्वसनीय डीमेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से ही करें।
5. Share trading/ IPO में निवेश करने हेतु कभी भी सीधे किसी बैंक खाते में धनराशि जमा न करें। Telegram/Whatsapp Group में जुडने के बाद अगर किसी भी सदस्य द्वारा आपसे लिंक के माध्यम से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिये कहा जाता है तो आप उसे डाउनलोड न करें।

अति महत्वपूर्ण - साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल इसकी सूचना अपने नजदीकी थाना साइबर क्राइम एवं भारत सरकार के साइबर हेल्पलाइन नं० 1930 पर कॉल करें साथ ही भारत सरकार के NCCRP पोर्टल Cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराये

2. थाना सेक्टर-49 पुलिस द्वारा मोबाइल चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/ निशानदेही से चोरी के 11 मोबाइल फोन, 01 टेब, 2500 रुपये नकद, 01 स्कूटी व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **05.12.2025** को **थाना सेक्टर-49 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोरी करने वाला अभियुक्त अकरम अली पुत्र बाबू को बिजली घर सेक्टर-50 के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे/ निशानदेही से चोरी के 11 मोबाइल फोन, 01 टेब, 2500 रुपये नकद, 01 तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर व चोरी करने में प्रयुक्त एक स्कूटी बरामद की गई है ।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह विजयनगर, गाजियाबाद का रहने वाला है। दिनांक 04.12.2025 को सुबह उसने गली नंबर-11, होशियारपुर में दो फ्लैटों से 5 मोबाइल फोन चोरी किए थे, जिन्हें अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त ने बताया कि वह घरों की रेकी करता है तथा रात के समय जब लोग अपने घरों का दरवाज़ा खुला रखकर सोते हैं, तो वह मौका पाकर घर में घुसकर मोबाइल चोरी कर लेता है। चोरी किए गए मोबाइलों को वह राह चलते व्यक्तियों को कम दाम में बेच देता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

अकरम अली पुत्र बाबू अली निवासी सेक्टर-11, विजयनगर, थाना विजयनगर, गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 0068/2023, धारा 379/411 भादवि, थाना सेक्टर-20 नोएडा, गौतमबुद्धनगर ।
2. मु0अ0सं0 1045/2021, धारा 392/411 भादवि, थाना सेक्टर-49 नोएडा, गौतमबुद्धनगर ।
3. मु0अ0सं0 1048/2021, धारा 414 भादवि, थाना सेक्टर-49 नोएडा, गौतमबुद्धनगर ।
4. मु0अ0सं0 0473/2024, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-49 नोएडा, गौतमबुद्धनगर ।
5. मु0अ0सं0 0474/2024, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-49 नोएडा, गौतमबुद्धनगर ।
6. मु0अ0सं0 0475/2024, धारा 303(2), 317(2), 324(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-49 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 0477/2024, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-49 नोएडा, गौतमबुद्धनगर ।
8. मु0अ0सं0 0478/2024, धारा 317(5) बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0, थाना सेक्टर-49 नोएडा, गौतमबुद्धनगर ।
9. मु0अ0सं0 0347/2025, धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-49 नोएडा, गौतमबुद्धनगर ।
10. मु0अ0सं0 0364/2025, धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-49 नोएडा, गौतमबुद्धनगर ।
11. मु0अ0सं0 0367/2025, धारा 317(5) बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0, थाना सेक्टर-49 नोएडा, गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी के 11 मोबाइल फोन,
2. चोरी की 01 टेब,
3. 2500 रुपये नकद,
4. 01 तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर
5. चोरी करने में प्रयुक्त एक स्कूटी

3. थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा 03 वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से 01 मोटरसाइकिल, 02 ई-रिक्शा व 03 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **05.12.2025** को **थाना इकोटेक-03 पुलिस** द्वारा 03 अभियुक्त 1.शाहरूख पुत्र शाहिद 2.राजेश उर्फ मुर्गा पुत्र मुन्ना लाल 3.मोहित उर्फ चिन्टू पुत्र सन्तोष को सीएनजी पम्प के पास थाना इकोटेक 3 क्षेत्र से **गिरफ्तार** किया गया है ।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि कुछ दिन पहले हम तीनो ने मिलकर बरामद मोटर साइकिल व दो ई रिक्शा ग्राम हल्दौनी से चोरी किये थे। दोनों ई रिक्शा की बैटरियां निकाल कर बेच दी थी व दूसरी ई रिक्शो को जंगल मे सीएनजी पम्प के पास मे झाडियो मे छिपा दिया था। आज हम लोग मौका देख कर एक ई रिक्शा बेचने जा रहे थे कि आपने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ई रिक्शा सीएनजी पम्प के पास झाडियों से निशादेही से बरामद की गयी । इस घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 499/2025 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. शाहरूख पुत्र शाहिद निवासी ग्राम कोट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर हालपता फर्नीचर मार्केट हल्दोनी थाना इकोटेक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 26 वर्ष,
2. राजेश उर्फ मुर्गा पुत्र मुन्ना लाल निवासी ग्राम निजामतपुर, थाना नगला सिंघी जिला फिरोजाबाद हाल पता ग्राम हल्दौनी थाना इकोटेक- 3 गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष,
3. मोहित उर्फ चिन्टू पुत्र सन्तोष निवासी पहाड गंज अजमेरी गेट दिल्ली हालपता विधापति कालोनी किराये का मकान ग्राम जलपुरा थाना इकोटेक -3 गौतमबुद्धनगर उम्र 20 वर्ष

- **अभियुक्त शाहरुख का आपराधिक इतिहास--**

1. मु0अ0सं0 294/2024 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 499/2025 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक -3 गौतमबुद्धनगर

- **अभियुक्त राजेश उर्फ मुर्गा का आपराधिक इतिहास--**

1. मु0अ0सं0 772/2014 धारा 411/414/482 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 776/2014 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 759/2016 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 750/2016 धारा 392/411 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0सं0 511/2018 धारा 392 भादवि थाना नोलेज पार्क गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0सं0 512/20218 धारा 307 भादवि थाना नोलेज पार्क गौतमबुद्धनगर
7. मु0अ0सं0 514/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना नोलेज पार्क गौतमबुद्धनगर
8. मु0अ0सं0 499/2025 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक -3 गौतमबुद्धनगर

- **अभियुक्त मोहित उर्फ चिन्टू का आपराधिक इतिहास--**

1. मु0अ0सं0 1960/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 1957/2017 धारा 411/413/414 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 1248/2021 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 1249/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 499/2025 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक -3 गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. एक मोटर साइकिल का रजि0 नं0 यूपी 20 बीआर 3723
2. ई-रिक्शा रजि0नं0-यूपी 16 एलटी 9875
3. ई-रिक्शा रजि0 नं0 यूपी 16 एमटी 5742
4. 03 अवैध चाकू

4. थाना फेस-2 पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल .32 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना फेस-2 पुलिस द्वारा अभियुक्त कृष्ण कुमार पुत्र राज किशोर पाण्डेय निवासी गांव भालुहीपुर थाना टाउन जिला भोजपुर बिहार उम्र 23 वर्ष को थाना टाउन आरा, जनपद भोजपुर(बिहार) पुलिस की सहायता से दिनांक **05.12.2025** को **गिरफ्तार** किया गया तथा माननीय न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर थाना फेस-2 नोएडा लाया गया।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त कृष्ण कुमार से पूछताछ में उसनें मृतका की हत्या करना स्वीकार किया तथा अभियुक्त कृष्ण कुमार उपरोक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल .32 बोर, 01 खोखा कारतूस .32 बोर जो पिस्टल की नाल में फसी हुई थी तथा 01 जिंदा कारतूस .32 बोर बरामद किया गया तथा मृतका के कमरे(घटना स्थल) से 01 खोखा और 01 जिंदा कारतूस पूर्व में ही बरामद किया जा चुका है।

घटना का विवरण-- अभियुक्त कृष्ण कुमार व मृतका लगभग 03 वर्ष से पूर्व सैक्टर 137 नोएडा में एक फ्लैट में एक साथ काम करते थे अभियुक्त वहां पर ऑफिशियल काम देखता था तथा मृतका खाना बनाती थी तब से दोनों में दोस्ती थी। अभियुक्त ने मृतका से शादी के लिये कहा तो मृतका ने मना कर दिया। अभियुक्त अगस्त 2025 में चोरी के आरोप में जेल चला गया था। जेल से छूटने के बाद अभियुक्त द्वारा मृतका से दोबारा बात करने की कोशिश की तो मृतका ने बात करने से साफ मना कर दिया था तथा दिनांक 28.11.2025 को रात्रि में ग्राम याकुबपुर में स्थित मकान में जाकर अवैध पिस्टल से युवती की गोली मारकर हत्या कर दी तथा मौके से भाग गया था।

उपरोक्त घटना के मुख्य बिन्दु--

1. अभियुक्त कृष्ण कुमार व मृतका लगभग 03 वर्ष से पूर्व सैक्टर 137 नोएडा में एक फ्लैट में एक साथ काम करते थे।
2. अभियुक्त वहां पर ऑफिशियल काम देखता था तथा मृतका खाना बनाती थी तब से दोनों में दोस्ती थी। अभियुक्त मृतका से शादी के लिये कहता था तो मृतका मना कर देती थी।
3. अभियुक्त अगस्त 2025 में चोरी के आरोप में थाना सैक्टर 142 नोएडा से जेल जा चुका है।
4. अभियुक्त ने जेल से छूटने के बाद मृतका से दोबारा बात करने की कोशिश की तो मृतका नें बात करने से साफ मना कर दिया था।
5. अभियुक्त ने अपने घर बिहार से नोएडा/गौतमबुद्धनगर आ गया और मृतका के किराये के आवास पर ग्राम याकूबपुर थाना फेस-2 नोएडा पहुंचकर उसके कमरे में गोली मारकर हत्या कर दी।
6. अभियुक्त नें मृतक की बहनो पर भी जान लेवा हमला किया किन्तु पिस्टल में गोली फँस जाने के कारण असफल रहा।
7. हत्या करने के बाद अभियुक्त ने पिस्टल सैक्टर 85 नोएडा में झाड़ियो में छिपाकर भाग गया।
8. अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिये 03 टीमें गाठित की गयी जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात व बिहार आदि राज्यों में अभियुक्त के ठिकानों पर तलाश की गयी।
9. अभियुक्त हत्या करने के उपरान्त गुजरात गया तथा वहाँ से फिर अपने गृह जनपद भोजपुर बिहार गया था।

10. बिहार पुलिस की सहायता से थाना फेस -2 पुलिस द्वारा अभियुक्त को बिहार राज्य से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर ट्रांजिट रिमांड के उपरान्त थाना फेस -2 लाया गया।
11. अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ के उपरान्त उसनें हत्या करना स्वीकार किया तथा हत्या में प्रयुक्त पिस्टल बरामदगी की बात कही।
12. अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल .32 बोर, 01 जिंदा कारतूस .32 बोर(मैगजीन में) व 01 खोखा कारतूस (चैम्बर में फसा हुआ) बरामद किया गया। मृतका के कमरे(घटना स्थल) से 01 खोखा और 01 जिंदा कारतूस पूर्व में भी बरामद किया जा चुका है।
13. उपरोक्त घटना में कुल 01 अवैध पिस्टल .32 बोर, 02 जिंदा कारतूस .32 बोर तथा 02 खोखा कारतूस .32 बोर बरामद किया गया है।
14. अभियुक्त उपरोक्त को अन्य आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण/आपराधिक इतिहास--

- **कृष्ण कुमार पुत्र राज किशोर पाण्डेय निवासी गांव भालुहीपुर थाना टाउन जिला भोजपुर बिहार उम्र 23 वर्ष, शिक्षा- कक्षा -12वीं**

1. मु0अ0सं0 162/2025 धारा 303(2) /317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-142 नोएडा, गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0स0 582/2025 धारा 103(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण--

01 पिस्टल .32 बोर

02 जिंदा कारतूस .32 बोर

02 खोखा कारतूस .32 बोर

5. थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा अवैध गांजे की बिक्री करने वाली 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से कुल 23 किलो 75 ग्राम अवैध गांजा व गांजा बिक्री के 4500 रुपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **05.12.2025** को **थाना सेक्टर-39 पुलिस** द्वारा 01 अभियुक्ता नूर फातिमा उर्फ साहिबा पत्नी इदरीस अहमद को सलारपुर से **गिरफ्तार** किया गया है। कब्जे से कुल 23 किलो 75 ग्राम गांजा व गांजा बिक्री के 4500 रुपये बरामद हुए है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 613/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर।
2. मु0अ0सं0 42/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर।
3. मु0अ0सं0 637/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर।
4. मु0अ0सं0 536/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर।
5. मु0अ0सं0 624/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर।
6. मु0अ0सं0 260/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर।

बरामदगी का विवरण--

23 किलो 75 ग्राम अवैध गाँजा व 4500 रुपये (गांजा बिक्री के)